01/29
Date:- 06/09/2025

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, में अलीगढ़ जिले के "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत।

जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को, जिलाधिकारी कार्यालय नवीन सभागार, अलीगढ़ में "जल जीवन मिशन" योजनान्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:–

1. मुख्य विकास अधिकारी,अलीगढ़।
2. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
3. श्री लोकेश शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0. जल निगम (ग्रामीण),अलीगढ़।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अलीगढ़।
5. श्री कैलाश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),अलीगढ़।
6. श्री हेमन्त कुमार, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),अलीगढ़।
7. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),अलीगढ़।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0, मै0 आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
10. समस्त जूनियर इंजीनियर खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
11. श्री नरेश महेश्वरी, परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स–आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0, अलीगढ़।
12. श्री गौरव शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0।
13. श्री ग्यान प्रकाश, परियोजना प्रबन्धक, मै0 कल्पतरू (जे0एम0सी0)।
14. समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी अलीगढ़।

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में **"जल जीवन मिशन"** के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ में सूचीबद्ध फर्मों क्रमशः 1–मैसर्स–आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0, अलीगढ़, 2–मैसर्स कल्पतरू (जे0एम0सी0), अलीगढ़ एवं 3–मैसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटैक लि0, अलीगढ़ द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नानुसार निर्देशित किया गया :–

1. **मै0 ऑयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0**:–जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी0पी0टी0 (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज–2) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 155 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और अत्यन्त धीमी है। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास मैन पावर एवं पर्याप्त कोष की कमी होने के कारण 155 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 130 नग शिरोपरि जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 35 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं दिनांक 30.09.2025 तक कम से कम 15 अन्य शिरोपरि जलाशय पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु फर्म को आदेशित किया गया साथ ही फर्म के प्रतिनिधि को यह भी निर्देशित किया गया कि अगले माह के अन्त तक हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की संख्या 11 से 16 किया जाना सुनिश्चित करे एवं जिन ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है उसकी संख्या एक माह के भीतर 67 से 77 कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 76745 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 70103 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को प्रतिदिन 100 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 206 राजस्व ग्रामों में से 163 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रैंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 10 योजनाओं के 11 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उन 35 ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिनपर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है।

2. **मै0 कल्पतरू जे0एम0सी0**:– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी0पी0टी0 (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज–3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 156 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 156 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 141 नग शिरोपरि जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 61 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै0 कल्पतरू (जे0एम0सी0) के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 सितम्बर 2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 207 लक्षित राजस्व ग्रामों के सापेक्ष उनके द्वारा 103 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य 10 राजस्व ग्रामों जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी राजस्व ग्रामों में 1 माह के भीतर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 63693 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 60091 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना निदेशक को प्रतिदिन 100 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 207 राजस्व ग्रामों में से 186 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रैंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराने को निर्देशित किया गया। साथ ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 31 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को एक में अन्य 7 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अन्य 20 योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उन 61 ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिनपर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है।

मै0 पी0एन0सी0 लि0:– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी0पी0टी0 (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज–3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 417 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 417 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 390 नग शिरोपरि जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 104 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए फर्म के परियोजना प्रबन्धक को 30 सितम्बर 2025 तक अन्य 30 योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै0 पी0एन0सी0 लि0 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 सितम्बर 2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा लक्षित 654 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 347 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य योजनाओं जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन उन 25 राजस्व ग्रामों को चिन्हित कर उनपर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 253041 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 242862 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को प्रतिदिन 50 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 654 राजस्व ग्रामों में से 529 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रैंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है। जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराने को निर्देशित किया गया। अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 72 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है।

फर्म के परियोजना प्रबन्धक को एक माह के भीतर अन्य 10 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कराये जाने हेतुं निर्देशित किया गया एवं अन्य 15 राजस्व ग्रामों चिन्हित कर उनपर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा ग्राम पंचायत मऊपुर बउपुर एवं बहादुरपुर विकास खण्ड गंगीरी में अधिशासी अभियन्ता को यह जांच कराने के आदेश दिये गये कि उक्त दोनो ग्राम पंचायतों में कोई भी मजरा ऐसा ना हो जिसमें पाइप लाइन बिछाने का कार्य नहीं कराया गया एवं गृह जल संयोजन का कार्य शेष है। क्योंकि उक्त दोनो ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण पूर्व में ही करा दिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उन 104 ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिनपर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है।

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सभी फर्मों को पुनः निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30.09.2025 तक दिये गये लक्ष्यों को पर्याप्त मैन पॉवर लगाते हुये पूरी गंभीरता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चि करें। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यो में हर माह घटकवार 25 प्रतिशत से अधिक तीव्रता लाने को आदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी फर्मों को उन स्थानों पर जहां ट्यूबवैल बोरिंग इत्यादि शेष है अथवा खारा पानी पाये जाने के कारण नवीन भूमि का चिन्हांकन किया जाना है उन सभी योजनाओं पर ई0आर0टी0 टैस्ट के माध्यम से भूमि के चिन्हांकन हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही जिन स्थानों पर वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी स्थानों को तत्पश्चात मोटरेबल किया जा चुका है एवं यथाशीघ्र पाइप लाईन टेस्टिंग कराते हुये काटी गयी ट्रैंच के पुर्नस्थापन का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त फर्मों को उन योजनाओं को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया जिन पर 80–प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण है तथा आगामी समय में ओ0एण्ड0एम में ले जाना प्रस्तावित हैं। बैठक में उपस्थित सभी आई0एस0ए0 संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई को महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर फेज–1 के शेष कार्य जैसे बैंक में खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। अन्त में अधिशासी अभियन्ता को महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष सभी स्कूल, आगनवाढी एवं आरोग्य केन्द्रों में सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर को लगाकर जल संयोजन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

29/08/2025

(लोकेश शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

(संजीव रंजन)
जिलाधिकारी अलीगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।

पत्रांक– 2004 / [illegible] / 67 दिनांक– 04 / 09 / 2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
5. जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़।
6. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
7. खण्डान्तर्गत समस्त सहायक अभियन्ता / जूनियर इंजीनियर।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0, मै0 आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
10. परियोजना निदेशक, मैसर्स– आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि0, अलीगढ़।
11. परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0, अलीगढ़।
12. परियोजना प्रबन्धक, मै0 कल्प–तारू जे0एम0सी0, अलीगढ़।

29/08/2025

अधिशासी अभियन्ता

C:\Users\pc\Desktop\Hussain Sir\Karyavrai SWSM 30.08.2025.doc